(ii) Fitness criteria of commercial/transport vehicles is enforced strictly by the Board of Inspection, of Transport Directorate. The vehicles plying without fitnesses certificate are impounded and challaned during checking by the Enforcement Branch of the Directorate of Transport, Delhi Administration.

(iii) Poloroid form of licences has been introduced with a view to prevent issue of licence in absentia and also to avoid any chance of fake licences.

(iv) Efforts have been made to educate public concerning Traffic Rules and regulations by use of media including Press, Radio, T.V. distribution of literature etc. The Road Safety Cell organises visits to schools where films on road safety, exhibition and lectures are held.

(v) The driving licences in fatal accidents cases are impounded. The drivers using alcohol, while driving are prosecuted.

(vi) Traffic Wardens are recruited from among the general public to help the traffic police, to control the traffic and to detect the traffic offences.

फिल्मों तथा छायाचित्रों के प्रसारण के संबंध में नीति

1064 **श्री अजीत जोगी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्र के महापुरुषों के जन्म/मृत्यु के दिन उनसे संबंधित फिल्म और छायाचित्र दूरदर्शन पर दिखाये जाने की सरकार की कोई नीति है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन महापुरुषों के संबंध में इस नीति का पालन किया जाता है ;

(ग) क्या अन्य महापुरुषों के संबंध में जन प्रतिनिधियों में अन्य संस्थाओं से आवेदन तथा सुझाव सरकार को प्राप्त हुये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी. उपेन्द्र) : (क) से (घ) आकाशवाणी प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों/विषयों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तियों की जयंतियों/पुण्यतिथियों सहित वर्षगांठों और उत्सवों की एक सूची तैयार करता है जिन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा उपयुक्त रीति से मनाया जाता है । सूची तैयार करते समय विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों पर पर भी विचार किया जाता है ।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत चालक लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी उपबन्ध

1065. **श्री अजीत जोगी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नया मोटर वाहन अधिनियम बनने के बाद चालक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो औपचारिकताएं निर्धारित की गई हैं, उनके कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है, और उसके कारण आवेदनों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है ;

(ख) तथा सरकार इस संबंध में वर्तमान कानूनों में कोई संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री साथ में संचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (क) यद्यपि

इस प्रकार की कुछ सामान्य शिकायतें मिली हैं लेकिन कोई विशिष्ट मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समीक्षा होने तक अधिनियम में संशोधन करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन केन्द्रों का विस्तार

1066. **श्री अजीत जोगी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों जैसे इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर के टेलीफ़ोन केन्द्रों की क्षमता में प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे प्राप्त कर लिए गए हैं, यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी) : (क) 8वीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में टेलीफ़ोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए विस्तार कार्यक्रम की योजना इस प्रकार है :—

	लाइन
(i) भोपाल	17000
(ii) इन्दौर	54000
(iii) जबलपुर	9000
(iv) ग्वालियर	9000
(v) रायपुर	9000
(vi) बिलासपुर	5000
(vii) उज्जैन	4900

(ख) लक्ष्यों को नीचे दिए अनुसार आंशिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है :—

क्र. सं.	एक्सचेंज	7वीं योजना के दौरान विस्तार की योजना	7वीं योजना के दौरान प्राप्त लक्ष्य
		लाइन	लाइन
1.	भोपाल	19200	14200
2.	इन्दौर	30000	10000
3.	जबलपुर	7000	2000
4.	ग्वालियर	10200	5200
5.	रायपुर	7200	5200
6.	बिलासपुर	4800	4800
7.	उज्जैन	3000	3000